रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2003/पौष 20, 1924
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2003/PAUSA 20, 1924

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2003

का.आ. 28(अ).— भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) और उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना**– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) विनियम, 2003 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियम उन सभी विमानपत्तनों और सिविल एन्क्लेवों को लागू होंगे, जिनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 लागू होता है ।

2. **परिभाषाएं**– इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) अभिप्रेत है ;

(ख) 'विमानपत्तन' से ऐसा कोई हवाईअड्डा अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ख) में परिभाषित है ;

(ग) 'सिविल एन्क्लेव' से ऐसा कोई विमानपत्तन अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (i) में परिभाषित है ;

(घ) 'विमानपत्तन निदेशक' से संबद्ध विमानपत्तन का निदेशक अभिप्रेत है, जिसको ये विनियम लागू होते है ;

(ङ.) 'विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव का भारसाधक' से ऐसे विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव का भारसाधक अभिप्रेत है जिसको ये विनियम लागू होते है ;

(च) 'सीमाशुल्क अधिनियम' से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है

(छ) 'सरकारी असेसर' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत सरकार से किसी अंकक या मूल्यांकक के रूप में अनुज्ञप्ति धारण करता हो ;

(ज) 'खोई संपत्ति' से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो उचित अभिरक्षा में न होते हुए किसी ऐसे परिसर मे पायी जाती है जो प्राधिकरण का हों या उसके पूर्णतः नियंत्रण में हो अथवा ऐसे किसी परिसर पर खड़े किसी वायुयान में हो ;

(झ) 'खोई संपत्ति कार्यालय' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो निदेशक या विमानपत्तन अथवा सिविल एन्कलेव के भारसाधक द्वारा खोई संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा खोई संपत्ति का खोई संपत्ति कार्यालय में परिदान किए जाने के प्रतिनिर्देश से यह अभिप्रेत है कि ऐसे कार्यालय में किसी अधिकारी को परिदान किया गया है ;

(ञ) 'अधिकारी' से प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो विमानपत्तन निदेशक अथवा सिविल एन्कलेव के भारसाधक से भिन्न हो ।

3. **खोई संपत्ति का किसी अधिकारी को सौंपा जाना-** (1) सीमाशुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति (अधिकारी से भिन्न), जिसे कोई खोई हुई संपत्ति मिलती है, उसे तुरंत उसी दशा में जिसमें वह उसे मिलती है, किसी अधिकारी को सौंपेगा तथा उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें वह उसे मिली है, सूचना उस अधिकारी को देगा ।

(2) उपर्युक्त खंड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, कोई ऐसा रजिस्टर रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें खोई संपत्ति का वर्णन, ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) और अधिकारी के, जो उसे सौंप रहे है और जो उसे ग्रहण कर रहे हैं नाम, पते और हस्ताक्षर अंतर्विष्ट होंगे ।

4. **खोई संपत्ति का खोई संपत्ति कार्यालय में परिदान किया जाना-** (1) सीमाशुल्क अधीनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी अधिकारी, जिसे विनियम 3 के अधीन खोई संपत्ति सौंपी जाती है अथवा जो स्वयं कोई खोई संपत्ति पाता है, यथा संभवशीघ्र, परन्तु किसी भी दशा में चौबीस घंटे से अपश्चात् उस संपत्ति को उसी दशा में, जिसमें वह उसके कब्जे में आती है, सुरक्षित अभिरक्षा के लिए खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त करेगा तथा उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें वह संपत्ति उसे मिली थी खोई संपत्ति कार्यालय के अधिकारी को सूचना देगा, :

परन्तु सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी खोई हुई संपत्ति को खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त करने से पूर्व यदि किसी व्यक्ति द्वारा, जो अधिकारी का समाधान कर देता है कि वह उसका स्वामी है, इसके बारे में दावा किया जाता है तो वह संपत्ति उसे, अधिकारी को अपना नाम और पता देने पर तुरन्त लौटा दी जाएगी । वह अधिकारी तत्पश्चात् यथा संभव शीघ्र इन तथ्यों के बारे में रिपोर्ट करेगा और दावेदार का नाम और पता तथा खोई संपत्ति कार्यालय को खोई संपत्ति का विवरण देगा ।

(2) विनियम 4 के खंड (1) में निर्दिष्ट खोई संपत्ति कार्यालय का अधिकारी कोई ऐसा रजिस्टर रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें खोई संपत्ति का वर्णन, ऐसे अधिकारी और व्यक्तियों के नाम और पते तथा हस्ताक्षर होंगे, जो उस संपत्ति को सौंप रहे है और जो उसे ग्रहण कर रहे है ।

5. **खोई संपत्ति का अभिलिखित किया जाना तथा सुरक्षित अभिरक्षा-** खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त की गई कोई खोई संपत्ति, विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव के भारसाधक द्वारा तब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी, जब तक उस संपत्ति के स्वामी द्वारा उसके बारे में दावा नही किया जाता है अथवा विनियम 7 के अनुसार उसका व्ययन नही किया जाता है तथा विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव का भारसाधक खोई संपत्ति, चाहे खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त की गई हो या विनियम 4 के परन्तुक के अधीन स्वामी को लौटायी गई हो, की विशिष्टियां उन परिस्थितियों को जिसमें वह संपत्ति पाई गई है तथा उसका अंतिम व्ययन दर्शित करते हुए अभिलेख को कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए रखेगा :

परन्तु जहाँ विनियम 7(3)(iii) में निर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न, किसी खोई संपत्ति के स्वामी का नाम और पते तुरन्त अभिनिश्चित किए जा सकते हों, वहां विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव का भारसाधक तुरन्त उसको यह अधिसूचित करेगा कि खोई संपत्ति मेरे कब्जे में है तथा इन विनिमयों के अनुसार उसके बारे में दावा किया जा सकेगा ।

6. **खोई संपत्ति का वापस दिलाया जाना** - यदि किसी खोई हुई संपत्ति के बारे में, जब कि वह खोई संपत्ति कार्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा मे रखी गई हो, दावा किया जाता है तथा दावेदार विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव के भारसाधक के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर देता है कि यह मेरी है और खोई संपत्ति कार्यालय के किसी अधिकारी को अपना नाम और पता दे देता हो, तो संपत्ति, खोई संपत्ति कार्यालय में दावेदार को वापस कर दी जाएगी ।

7. **खोई संपत्ति का व्ययन-** (1) यदि विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव के भारसाधक द्वारा विनियम 5 के अधीन सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखी गई किसी खोई संपत्ति के बारे में उस तारीख से, जिसको वह खोई संपत्ति कार्यालय को परिदत्त की गई थी, तीन मास के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा दावा नही किया जाता है तो विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव का भारसाधक इसका व्ययन अधिक से अधिक कीमत पर, जो सरकारी असेसर या सरकारी अनुमोदित असेसर के परामर्श से अवधारित की जाए, कर देगा तथा युक्तियुक्त कीमत प्राप्त करने में असफल होने की दशा में, वह तुरन्त इस तथ्य के बारे में अपने वरिष्ठ प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा, जो ऐसे आदेश देगा, जैसे कि परिस्थितियों/उस मामले में अपेक्षित हो ।

(2) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव के भारसाधक द्वारा विनियम 5 के अधीन रखी गई कोई खोई संपत्ति नाशवान प्रकृति की है, और यदि इसे पाए जाने के समय से अड़तालीस घंटे के भीतर विनियम 6 के अंतर्गत वापस नही लिया जाता है, तो विमानपत्तन या सिविल एन्क्लेव का भारसाधक उसका व्ययन, अधिक से अधिक कीमत पर, जो युक्तियुक्त रूप में प्राप्त की जा सके, या जिसे उचित समझे, कर देगा और अभिलेख रखेगा ।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी खोई संपत्ति को जो आपत्तिजनक हो जाती है या बन जाती है, तुरन्त नष्ट कर दिया जाएगा अथवा युक्तियुक्त रीति से उसका निम्नलिखित रीति में व्ययन कर दिया जाएगा :-

(i) हथियार, गोलाबारूद तथा विस्फोटक पदार्थों को पुलिस प्राधिकारियों के पास जमा करा दिया जाएगा ।

(ii) स्वापक पदार्थों, ओषधियों, विदेशी मुद्रा, भारतीय मुद्रा 5,000/-रुपए (केवल पांच हजार रुपए) से अधिक और विदेशी मूल की सभी मदों की उपयुक्त रसीद लेकर सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास जमा किया जाएगा ;

(iii) सरकारी दस्तावेज जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति, पारपत्र और विदेशी पहचान बहियां भी है, यथासाध्य समुचित सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निकाय या उनको जारी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या उनको नियंत्रित करने वाले या व्यवहृत करने वाले व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति इन विनियमों के अधीन व्ययनित की जाती है वह उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् विक्रय आगम, यदि कोई हो, ऐसे युक्तियुक्त खर्चों की कटौती करने के पश्चात् ,जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई और नीलामी की गई मदों के विक्रय आगम के 25 प्रतिशत से अधिक नही होंगे, का पात्र होगा ।

8. **खोई संपत्ति की जांच** - जहां कोई खोई संपत्ति पैकिंग, थैले या अन्य किसी पात्र में हो, संबंधित अधिकारी उस पैकिंग, थैले या पात्र को खोलेगा, उसकी जांच करेगा या उसके दावेदार द्वारा खोला जाएगा और उसको उसकी सामग्री को निम्नलिखित जांच के लिए प्रस्तुत किया जाएगा -

(क) खोई संपत्ति के स्वामी की पहचान और पता लगाना, या

(ख) अंतर्वस्तु की प्रकृति को अभिनिश्चित करना ।

9. **निरसन और व्यावृत्ति** - (1) नियत तारीख से ही, भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) विनियम, 1974, भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) संशोधन विनियम, 1992 और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) विनियम, 1988 निरसित किये जाते है ।

(2) ऐसे निरसन में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित उपर्युक्त विनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई या की गई तात्पर्यित की गई कोई बात या कार्रवाई, इन विनियमों के तत्स्थानी के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

[फा. सं. ए.ए.आई./पर्स/ईडीपीए/आरईजी/2002]

एस. के. नरूला, अध्यक्ष

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2003

S.O. 28(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (f) and (g) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 42 and section 34 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India, with the prior approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, commencement and application.** - (1) These regulations may be called the Airports Authority of India [Lost Property] Regulations, 2003.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to all the Airports and Civil Enclaves to which the Airports Authority of India Act, 1994 applies.

2. **Definitions.** - In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) 'Act' means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);

(b) 'Airport' means an aerodrome as defined in sub-section (b) of Section 2 of the Act;

(c) 'Civil Enclave' means an airport as defined in sub-section (i) of Section 2 of the Act;

(d) 'Airport Director' means the Director of the concerned Airport to which these regulations apply;

(e) 'Incharge of the Airport or Civil Enclave' means the incharge of the concerned Airport or Civil Enclave to which these regulations apply;

(f) 'Customs Act' means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(g) 'Government Assessor' means any person holding the licence from Government of India as an Appraiser or Valuer;

(h) 'Lost Property' means any property which, while not in proper custody, is found on any premises, belonging to the Authority or under its overall control or in any aircraft on any such premises;

(i) 'Lost Property Office' means any place specified by the Director or Incharge of the Airport or Civil Enclave for the safe keeping of the lost property and any reference to the delivery of the lost property to the Lost Property Office means delivery to an officer at such an office;

(j) 'Officer', means an officer of the Authority other than the Airport Director or Incharge of the Airport or Civil Enclave.

3. **Lost property to be handed over to an officer.**- (1) Subject to the provisions of the Customs Act and of the rules and regulations made thereunder, any person (other than an officer) who finds any lost property shall hand it over immediately to an officer in the same condition in which

he finds it and inform the officer of the circumstances in which it was found.

(2) The officer referred to in clause (1) above shall be responsible to maintain a register containing the description of the lost property, the name, address and the signature of the person(s) and the officer handing it over and taking it over.

4. **Delivery of lost property to the Lost Property Office.** -(1) Subject to the provisions of the Customs Act and of the rules and regulations made thereunder, any officer to whom lost property is handed over under regulation 3, or who himself finds any lost property, shall, as soon as possible, but in any case not later than twenty-four hours, deliver such property for safe custody in the state in which it comes into his possession to the Lost Property Office and inform the officer at the Lost Property Office of the circumstances in which it was found;

Provided that before any lost property is delivered for safe custody to the Lost Property Office, if it is claimed by a person who satisfies the officer that he is the owner, it shall be returned to that person forthwith on his giving his name and address to the officer, who shall, as soon as possible thereafter report the facts and give the claimant's name, address and description of the lost property to the Lost Property Office.

(2) The officer of Lost Property Office as referred to in clause (1) of regulation 4 shall be responsible to maintain a register containing the

description of the lost property, name, address and signature of the officer and the person(s) handing it over and taking it over the property.

5. **Recording and safe custody of Lost property.-** Any lost property delivered to the Lost Property Office shall be retained in safe custody by the Incharge of the Airport or Civil Enclave until claimed by the owner thereof or disposed of in accordance with regulation 7, and the Incharge of the Airport or Civil Enclave shall keep, for a period of not less than three months after the disposal of the property, a record showing the particulars of the lost property (whether delivered to the Lost Property Office or returned to the owner under proviso of regulation (4), the circumstances in which it was found and its ultimate disposal;

(Provided that where the name and address of the owner of the lost property, other than the documents referred to in regulation 7(3)(iii) are) readily ascertainable, the Incharge of the Airport or Civil Enclave shall forthwith notify him that the lost property is in his possession and may be claimed in accordance with these regulations.

6. **Restoration of Lost Property.-** If any lost property, while it is retained in the Lost Property Office in safe custody, be claimed and the claimant proves to the satisfaction of the Incharge of the Airport or Civil Enclave that it belongs to him and he gives his name and address to an officer of the Lost Property Office, it shall be restored to the claimant at the Lost Property Office.

92G1/03-2.

7. Disposal of Lost Property.- (1) If any lost property retained by the Incharge of the Airport or Civil Enclave for safe custody under regulation 5 is not claimed within three months from the date on which it was delivered to the Lost Property Office, the Incharge of the Airport or Civil Enclave shall dispose of it for a best reasonable price to be determined in consultation with the Government Assessor or Government approved Assessor and in the event of his failure to secure a reasonable price, he shall forthwith report the fact to his superior authority who shall pass such orders as the circumstances / case may require.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above, if any lost property retained by the Incharge of the Airport or Civil Enclave under regulation 5 is of a perishable nature, and, if within forty eight hours from the time when it was found and it was not restored under regulation 6, the Incharge of the Airport of Civil Enclave shall dispose of it immediately for a best reasonable price or as deemed fit and maintain record.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2), any lost property which is or which becomes objectionable may be destroyed or otherwise disposed of in the following manner:-

(i) Arms, ammunition and explosives shall be deposited with Police authorities;

(ii) Narcotics, drugs, foreign currency, Indian currency exceeding Rs.5,000/- [Rupees Five thousand only] and all items of foreign

origin shall be deposited with the Customs authorities against proper receipt.

(iii) Official documents including licences, passports and aliens identity books shall, wherever practicable, be returned to the appropriate Government Department, Local Authority or other body or person responsible for issuing them or for controlling or dealing with them.

(4) A person whose property has been disposed of under these regulations, shall upon proper verification, be entitled to receive the proceeds of the sale, if any, after deduction of reasonable expenses, which shall not exceed 25 per cent of the sale proceeds of the item found and auctioned by the Airports Authority of India.

8. **Examination of Lost Property.-** Where any lost property is contained in a package, bag or other receptacle, the Incharge of the Airport or Civil Enclave may cause such package, bag or other receptacle to be opened and the contents examined or require the claimant to open it and submit it and its contents for examination, for the purpose either -

(a) of identifying and tracing the owner of the lost property, or

(b) of ascertaining the nature of the contents.

9. **Repeal and Saving.-** (1) On and from the appointed date, International Airports Authority of India [Lost Property] Regulations 1974, the International Airports Authority of India [Lost

Property] Amendment Regulations, 1992 and the National Airports Authority (Lost Property) Regulations 1988 shall stand repealed;

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the aforesaid Regulations, so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these Regulations, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

[F. No. AAI/PERS/EDPA/Reg/2002]

S. K. NARULA, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.